

प्रेस नोट

दिनांक 30.06.2026

जनपदीय पुलिस से अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने वाले 03 अधि०/कर्मचारी हुए सेवानिवृत्त, पुलिस लाइन स्थित सभागार में सहायक पुलिस अधीक्षक द्वारा शॉल व फूल-माला पहनाकर उज्ज्वल भविष्य की दी गई शुभकामनाएं—

गोण्डा। आज दिनांक 30.06.2026 को जनपद गोण्डा पुलिस से 02 उ०नि० व 01 उर्दू अनुवादक/सह वरिष्ठ सहायक अपनी अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान पुलिस लाइन गोण्डा स्थित सभागार कक्ष में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में सहायक पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक दवाच्यों द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को शॉल व फूल-माला पहनाकर, शील्ड व अन्य धार्मिक पुस्तकें भेंट करते हुए विदा किया गया। महोदय द्वारा सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मियों से सेवानिवृत्त होने पर उनके द्वारा पुलिस विभाग को दिये गये योगदान की सराहना की गयी एवं सेवानिवृत्ति उपरांत भी पुलिस विभाग का यथासंभव सहयोग करने की अपेक्षा की गयी तथा सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गयी।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी आर०आई श्री अजय प्रताप सिंह, सहित अन्य अधि०/कर्मचारीगण एवं सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के परिवारीजन मौजूद रहे।

सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस कर्मियों का विवरण—

01. उ०नि०स०पु० श्री भूपेन्द्र कुमार मिश्रा।
02. उ०नि०स०पु० श्री उदय नारायण तिवारी।
03. उर्दू अनुवादक श्री अहमद सईद खॉ

मीडिया सेल गोण्डा।

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 04 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकपुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0—142/2026, धारा 115(2), 329(3), 109, 352, 351(3), 324(2) बीएनएस से सम्बन्धित 04 आरोपी अभियुक्तों—01. जोगिंदर सिंह पुत्र नानमून सिंह, 02. राणा सिंह पुत्र पप्पू सिंह, 03. कुंदन सिंह पुत्र रामलखन सिंह, 04. पप्पू सिंह पुत्र रामलखन सिंह को ग्राम भुलैया कोल्हुआ से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

वादी छागुर सिंह पुत्र जागेश्वर सिंह, निवासी ग्राम भुलैया कोल्हुआ, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना मोतीगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 25.06.2026 को रात्रि लगभग 08:00 से 08:30 बजे के मध्य पूर्व की रंजिश के कारण गांव के जोगेन्द्र पुत्र नानमून सिंह, राना सिंह पुत्र पप्पू सिंह, कुंदन सिंह एवं पप्पू सिंह पुत्रगण राम लखन सिंह उसके घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए तथा जान से मारने की नीयत से वादी की पत्नी एवं पुत्री पूनम पर हमला किया, गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा लाठी एवं धारदार हथियार से प्रहार कर वादी की पत्नी प्रतिमा सिंह के सिर में गंभीर चोट पहुंचाई, जिससे वह बेहोश हो गई। घायल को 108 एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय, गोण्डा में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 30.06.2026 को थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा घटना कारित करने के 04 आरोपी अभियुक्तों—01. जोगिंदर सिंह पुत्र नानमून सिंह, 02. राणा सिंह पुत्र पप्पू सिंह, 03. कुंदन सिंह पुत्र रामलखन सिंह, 04. पप्पू सिंह पुत्र रामलखन सिंह को ग्राम भुलैया कोल्हुआ से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. जोगिंदर सिंह पुत्र नानमून सिंह निवासी भुलैया कोल्हुआ, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।
02. राणा सिंह पुत्र पप्पू सिंह निवासी भुलैया कोल्हुआ, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।
03. कुंदन सिंह पुत्र रामलखन सिंह निवासी भुलैया कोल्हुआ, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।
04. पप्पू सिंह पुत्र रामलखन सिंह निवासी भुलैया कोल्हुआ, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0स0—142/2026, धारा 115(2), 329(3), 109, 352, 351(3), 324(2) बीएनएस थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम—

01. उ0नि0 योगेन्द्र सिंह।
02. उ0नि0 राकेश कुमार गुप्ता।
03. उ0नि0 रामाज्ञा पासवान।
04. का0 मिथिलेश शाह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 30.06.2026

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये गए दो दिवसीय विशेष अभियान के तहत 85 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वांछित व गैर-जमानती वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दो दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान को सफल बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारी व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्रों में लंबित गैर-जमानती वारंटियों एवं वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।

उक्त अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक व अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीमों का गठन कर कार्यवाही की गई। इस विशेष अभियान के अंतर्गत जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस टीमों द्वारा कुल 85 गैर-जमानती वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। थाना-वार गिरफ्तारी का विवरण निम्नानुसार है- थाना को0 नगर पुलिस ने 15, थाना को0 देहात पुलिस ने 05, थाना इटियाथोक पुलिस ने 06, थाना खरगूपुर पुलिस ने 05, थाना को0 मनकापुर पुलिस ने 01, थाना धानेपुर पुलिस ने 05, थाना मोतीगंज पुलिस ने 03, थाना तरबगंज पुलिस ने 05, थाना नवाबगंज पुलिस ने 01, थाना वजीरगंज पुलिस ने 01, थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 01, थाना को0 कर्नलगंज पुलिस ने 11, थाना परसपुर पुलिस ने 19, थाना कटराबाजार पुलिस ने 04 व थाना कौड़िया पुलिस ने 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।